गृह भ्रमण प्रपत्र–1 से रिपोर्टिंग प्रपत्र–2 में सूचना संकलन के दिशा निर्देश

आशा द्वारा प्रसव पश्चात निम्न 3 परिस्थितियों में गृह भ्रमण कर प्रपत्र भरे जाने चाहिए

1. **माँ एवं शिशु दोनों जीवित**
2. **माँ जीवित शिशु मृत**
3. **माँ मृत शिशु जीवित**

यद्यपि आशा को भुगतान सिर्फ माँ एवं शिशु के 42 दिन तक जीवित रहने की दशा में ही मिलेगा परंतु परिस्थिति 2 व 3 में भी आशा को माँ / शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियत दिवसों में भ्रमण करना चाहिए व भरे हुए प्रपत्र को संकलित रिपोर्ट के प्रत्येक माह की 25 तारीख तक स्वास्थ्य कार्यकत्री के पास जमा करना चाहिए।

कॉलम संख्या **2**: प्रसूता/ माँ का नाम का नाम गृह भ्रमण प्रपत्र–1 में सामान्य सूचना वाले भाग से अंकित किया जाए।

कॉलम संख्या 3: पति/ पिता का नाम नाम गृह भ्रमण प्रपत्र–1 में सामान्य सूचना वाले भाग से अंकित किया जाए।

कॉलम संख्या 4: प्रसव का दिनांक गृह भ्रमण प्रपत्र–1 में सामान्य सूचना वाले भाग से अंकित किया जाए।

कॉलम संख्या 5, 6, 7: प्रसव पश्चात गृह भ्रमण सिर्फ तीन परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, माँ एवं शिशु दोनों जीवित/ माँ जीवित शिशु मृत/ माँ मृत शिशु जीवित। अतः किसी एक उपयुक्त कॉलम में ही √ का निशान लगाएं।

कॉलम संख्या 5/7 में √ का निशान होने पर ही आगे के कॉलम 8 से 19 में सूचना अंकित की जाएगी, अन्यथा यह सभी कॉलम रिक्त रहेंगे।

कॉलम संख्या 8, 9: किसी एक उपयुक्त कॉलम में ही √ का निशान लगाएं। नवजात शिशु का लिंग गृह भ्रमण प्रपत्र–1 में अंकित सामान्य सूचना वाले भाग से अंकित किया जाए।

कॉलम संख्या 10, 11: गृह भ्रमण प्रपत्र–1 क के अंत में अंकित प्रश्न ***क्या बच्चे में कोई असामान्य बात दिखती है? (मुड़े हाथ–पैर/कटे होंठ/अन्य)*** का उत्तर यदि 'हाँ' में हो तो किसी एक उपयुक्त कॉलम में √ का निशान लगाएं। *ध्यान रहे* आशा गृह भ्रमण प्रपत्र का 1–क भाग सिर्फ गृह प्रसव की दशा में ही भरती है अतः यदि गृह प्रसव में जन्मे शिशु में उल्लिखित शारीरिक विकृति दृष्टिगत होती है तभी आशा रिपोर्ट करेगी। संस्थागत प्रसव में रिपोर्ट करने का उत्तरदायित्व प्रसव स्टाफ/ चिकित्सक का होगा।

कॉलम संख्या 12.A: जन्म के समय 2500 ग्राम से कम व 1800 ग्राम से अधिक वजन के जन्मे नवजात की सूचना गृह भ्रमण प्रपत्र–1 से अंकित की जाए।

कॉलम संख्या 12.B: जन्म के समय 1800 ग्राम या उससे कम वजन के जन्मे जन्मे नवजात की सूचना गृह भ्रमण प्रपत्र–1 से अंकित की जाए।

कॉलम संख्या 13: जटिलता के कारण किसी नवजात को सरकारी अस्पताल में संदर्भित करने की सूचना गृह भ्रमण प्रपत्र–1 के भाग 'घ' के अंत से तीसरी पंक्ति में अंकित की जाती है।

कॉलम संख्या 14, 15: यदि शिशु जीवित जन्मा हो परंतु जन्म से लेकर 28 दिन के अंदर नवजात शिशु की मृत्यु हुयी हो तो यह सूचना प्रपत्र 1– ख की प्रथम पंक्ति से प्राप्त होगी। मृत नवजात के लिंग अनुसार उपयुक्त कॉलम में √ का निशान लगाए अन्यथा कॉलम रिक्त छोड़ दें।

कॉलम संख्या 16–17: आशा संगिनी/ स्वास्थ्य कार्यकत्री द्वारा आशा को एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु किसी नवजात का संयुक्त भ्रमण किया जाए, आशा द्वारा किये गए प्रत्येक कार्य की स्वयं जांच की जाए, इसका रिकॉर्ड गृह भ्रमण प्रपत्र के 1–क, 1–ख, 1–ग व 1–घ के पर्यवेक्षकीय कॉलम में अंकित किया जाए व प्रपत्र के अंत में आशा के इस कार्यक्रम अन्तर्गत किये गए कार्य के विषय में टिप्पणी अंकित करते हुए हस्ताछर किये जाएंगे। यह समस्त शर्तें पूर्ण करने के पश्चात ही स्वास्थ्य कार्यकत्री/ संगिनी द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण माना जाएगा।

यदि आशा के पास पूरी एवं क्रियाशील एच.बी.एन.सी. किट है (वजन मशीन थैले सहित, डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल घड़ी), तभी वह इस कॉलम में √ का चिन्ह लगाए, अन्यथा x का निशान लगाते हुए अनुपलब्ध अथवा अक्रियाशील उपकरण/ सामान का विवरण अंकित कर दे, ताकि ब्लॉक स्तर से उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

यदि आशा के पास पूरी ड्रग किट (पैरासिटामोल सीरप, अमोक्सीसिलिन सीरप एवं जन्शन वॉयलेट पेंट) है, तभी वह इस कॉलम में √ का चिन्ह लगाए, अन्यथा x का निशान लगाते हुए अनुपलब्ध ड्रग का विवरण अंकित कर दे ताकि ब्लॉक स्तर से उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज के पश्चात इस माह फॉलोअप किये गए शिशुओं की संख्या लिखने के लिए आशा इस सन्दर्भ में मिशन निदेशक महोदय के स्तर से जारी दिशानिर्देशों व् प्रारूप भरने के पश्चात अंकित करें। ध्यान रहे कि आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 के तृतीय चरण में प्रशिक्षित आशा ही एस.एन.सी.यू से डिस्चार्ज के पश्चात फॉलो अप करने के लिए अनुमन्य है।

रिपोर्टिंग प्रपत्र–2 से रिपोर्टिंग प्रपत्र–3 में सूचना संकलन के दिशा निर्देश

स्वास्थ्य कार्यकत्री, प्रारूप–3 पर आशाओं की रिर्पोट संकलित कर प्रारूप 1 व 2 सहित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक माह की 30 तारीख अवश्य उपलब्ध करा दें।

कॉलम 2 – मॉड्यूल 6 एवं 7 के प्रथम चक्र में प्रशिक्षित समस्त आशाओं के नाम लिखे जाएंगे चाहे उस आशा के द्वारा भ्रमण रिपोर्ट जमा की गयी हो अथवा नहीं ऐसी आशाओं के भी नाम लिखे जाएँ जिनके यहाँ भ्रमण के लिए अपेक्षित किसी नवजात का जन्म न हुआ हो।
कॉलम 3 – कॉलम 2 में अंकित आशाओं के नाम के आगे कार्य क्षेत्र मजरों सहित अंकित किये जाए।
कॉलम 4 – आशाओं द्वारा जमा किये गए प्रपत्र 2 में दिए गए फीडबैक के आधार पर हाँ अथवा न अंकित करें एवम अनुपलब्ध/अक्रियाशील उपकरण का विवरण प्रपत्र 3 के पीछे अंकित कर दें।
कॉलम 5 – आशाओं द्वारा जमा किये गए प्रपत्र 2 में दिए गए फीडबैक के आधार पर हाँ अथवा न अंकित करें एवम अनुपलब्ध ड्रग्स का विवरण प्रपत्र 3 के पीछे अंकित कर दें।
कॉलम 6 – आशा द्वारा यदि इस माह एक भी गृह भ्रमण प्रपत्र जमा किया गया है तो हाँ अंकित करें अन्यथा की दशा 'नहीं' अंकित करते हुए फार्म जमा न करने का कारण प्रपत्र 3 के पीछे अंकित कर दें।
कॉलम 7– प्रपत्र 2 के कॉलम 5, 6, 7 में अंकित संख्याओं का योग लिखें।
कॉलम 8 – से लेकर कॉलम संख्या 15 में प्रपत्र 2 में इन्ही कॉलम संख्या में अंकित योग लिखे जाएंगे।
कॉलम 16 –में सूचना प्रपत्र 2 में अलग से दिए गए बॉक्स में अंकित सूचना के आधार पर दी जाएगी।
कॉलम 17 व 18 – क्रमश प्रपत्र 2 के कॉलम संख्या 16 एवम 17 के आधार पर अंकित की जाएगी।

उपकेन्द्र स्तरीय एच.बी.एन.सी. मासिक प्रगति रिपोर्ट– प्रारूप 3 से ब्लॉक स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र–4 में सूचना संकलन के दिशा निर्देश

उन सभी उपकेंद्रों के नाम लिखे जाएँ जिसकी एक भी आशा प्रशिक्षित है चाहे वहां से रिपोर्ट प्राप्त हुयी हो अथवा नहीं।
कॉलम संख्या 3– प्रपत्र 3 के कॉलम संख्या 2 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम संख्या 4–18– में प्रपत्र–3 के इन्ही कॉलम का योग अंकित किया जाएगा।

ब्लॉक स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र–4 से जनपद स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र–5 में सूचना संकलन के दिशा निर्देश

कॉलम 2– जनपद अन्तर्गत समस्त ब्लॉक के नाम अंकित किये जाएँ।
कॉलम 3– ब्लॉकवार क्रियाशील आशाओं की संख्या अंकित की जाए (संगिनियों की संख्या घटाते हुए)।
कॉलम 4–7–चक्रवार प्रशिक्षित आशाओं की संख्या अंकित की जाए (प्रशिक्षित संगिनियों की संख्या घटाते हुए)।
कॉलम 8– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 4 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 9– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 5 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 10– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 6 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 11– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 7 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 12,13– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 8, 9 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 14,15– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 10,11 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 16 A & 16 B– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 12–A & 12-B का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 17– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 13 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 18,19– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 14, 15 का योग अंकित किया जाए।
कॉलम 20–21–22– प्रारूप 4 के कॉलम संख्या 16,17,18 का योग अंकित किया जाए।